रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 372] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/ कार्तिक 26, 1937
No. 372] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 13 नवम्बर, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/20/110/2015 – बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 6ए(1)(i) और धारा 114ए(2)(डीबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

1. (1) **परिभाषाएँ.-** इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "**अधिनियम**" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।

(ii) "**प्राधिकरण**" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(iii) "**अन्य प्रकार की पूँजी**" से इन विनियमों में निर्धारित तरीके से बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित लिखत अभिप्रेत हैं :

(क) अधिमानी शेयर पूँजी; अथवा

(ख) गौण ऋण।

(iv) **"अधिमानी शेयर पूँजी"** से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के

स्पष्टीकरण (ii) में यथापरिभाषित और इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाली अधिमानी शेयर पूँजी अभिप्रेत है।

(v) **"गौण ऋण"** से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(30) में यथापरिभाषित और इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाला ऋणपत्र (डिबेंचर); तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान किया जानेवाला ई अन्य ऋण लिखत अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

"अन्य प्रकार की पूँजी" के लिए अर्हता

3. अधिमानी शेयर अथवा गौण ऋण "अन्य प्रकार की पूँजी" के रूप में अर्हता-प्राप्त होंगे बशर्ते कि निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाएः

i. **पूर्णतः प्रदत्त** : लिखत अवश्य जारी किये गये हों और नकद प्रदत्त हों;

ii. **दावों की वरिष्ठता** : दावों की वरिष्ठता निम्नलिखित क्रम से नियंत्रित की जाएगीः

क) **अधिमानी शेयरः** अधिमानी शेयरधारकों के दावे ईक्विटी शेयर पूँजी धारित करनेवाले निवेशकों के दावों से श्रेष्ठ होंगे, परंतु पॉलिसीधारकों और सभी अन्य ऋणदाताओं के दावों से गौण होंगे;

ख) **गौण ऋणः** गौण ऋण के धारकों के दावे उस क्रम में अधिमानी शेयरों और ईक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से श्रेष्ठ होंगे, परंतु पॉलिसीधारकों और सभी अन्य ऋणदाताओं के दावों से गौण होंगे।

iii. इन विनियमों के अधीन जारी किये गये लिखत बीमाकर्ता की गारंटी अथवा बीमाकर्ता के पॉलिसीधारकों और ऋणदाताओं के दावों की तुलना में दावों की वरिष्ठता को कानूनी तौर पर बढ़ानेवाली अन्य व्यवस्थाओं द्वारा सुरक्षित अथवा बीमा-रक्षा प्राप्त नहीं होंगे;

iv. **परिपक्वता अवधिः** इन विनियमों के अधीन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किये गये लिखतों की परिपक्वता अवधि निम्नानुसार होगीः

क. **अधिमानी शेयर पूँजीः** परिपक्वता अवधि अथवा मोचन अवधि निम्नलिखित से कम नहीं होगीः

(i) जीवन बीमा, साधारण बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के लिए दस वर्ष; और

(ii) स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए सात वर्ष।

ख. **गौण ऋणः** गौण ऋण का निर्गम या तो निरंतर होगा या परिपक्वता अवधि अथवा मोचन अवधि निम्नलिखित से कम नहीं होगीः

(i) जीवन बीमा, साधारण बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के लिए दस वर्ष; तथा

(ii) स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए सात वर्ष;

बशर्ते कि इस विनियम में निहित कोई भी बात बीमाकर्ता को इन विनियमों के विनियम 10 के अधीन क्रय विकल्प (कॉल ऑप्शन) का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी।

v. समयपूर्व मोचन के लिए कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।

vi. निवेशकों को देय लाभांश / ब्याज की दर एक नियत दर अथवा अस्थिर दर हो सकती है। उक्त अस्थिर दर बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में होगी।

vii. गौण ऋण पर ब्याज लाभ-हानि लेखे में नामे डाला जाएगा और अधिमानी शेयरों पर लाभांश शेयरधारकों को वितरित किये जाने योग्य लाभ में से अदा किया जाएगा;

बशर्ते कि बीमाकर्ता की ऋण-शोधन क्षमता विनियामक शर्तों के अनुसार होगी;

आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ ऐसे भुगतान का प्रभाव निवल हानि अथवा निवल हानि में वृद्धि के रूप में परिणत हो रहा हो, वहाँ ऐसे भुगतान के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा;

viii. **लाभांश / ब्याज संबंधी विवेकः** ईक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के वितरण संबंधी अपवाद को छोड़कर अधिमानी शेयरों पर लाभांश के वितरण अथवा गौण ऋण की सर्विसिंग के निरस्तीकरण से बीमाकर्ता पर अनिवार्यतः कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन

4. कोई भी बीमाकर्ता "अन्य प्रकार की पूँजी" का निर्गम विनियम 6 के अधीन प्राधिकरण के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के बिना जारी नहीं करेगा।

निर्गम के लिए प्रक्रिया

5. "अन्य प्रकार की पूँजी" जुटाने के लिए इच्छुक बीमाकर्ता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फार्म-1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाएँगेः

i. अधिमानी शेयरों के निर्गम को प्राधिकृत करनेवाला बोर्ड का संकल्प और शेयरधारकों की आम सभा में पारित विशेष संकल्प;

ii. गौण ऋण के निर्गम को प्राधिकृत करनेवाला बोर्ड का संकल्प;

iii. पाँच वर्ष की अवधि के लिए पूर्वानुमानित व्यवसाय योजना और पूर्वानुमानित शोधक्षमता की स्थिति;

iv. उन शर्तों की एक प्रति जिन पर अधिमानी शेयर पूँजी अथवा गौण ऋण का निर्गम प्रस्तावित है;

v. शोधक्षमता मार्जिन की संगणना हेतु उपलब्ध पूँजी प्रयोजनों के लिए जारी किये जाने हेतु प्रस्तावित लिखतों का अभीष्ट वर्गीकरण;

vi. ईक्विटी शेयर पूँजी के निर्गम द्वारा निधियाँ जुटाने के स्थान पर "अन्य प्रकार की पूँजी" जारी करने के लिए तर्काधार;

vii. पुष्टीकरण

क) कि बीमाकर्ता किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश अथवा ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि,

1) बीमाकर्ता की शोधक्षमता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं से कम हो; अथवा

2) ऐसे भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप बीमाकर्ता की शोधक्षमता प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से नीचे आती हो अथवा नीचे रहती हो।

ख) कि लाभांश अथवा ब्याज, जैसी स्थिति हो, संचयी नहीं होगा अर्थात् किसी वर्ष में अदा नहीं किये गये लाभांश अथवा ब्याज का भुगतान भावी वर्षों में नहीं किया जाएगा;

बशर्ते कि ब्याज की देय और अदत्त रहनेवाली राशि का भुगतान अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने की अनुमति उपर्युक्त विनियम 3(vii) के अनुपालन के अधीन दी जा सकती है। ऐसे अदत्त ब्याज का भुगतान करते समय बीमाकर्ताओं को यह अनुमति है कि वे चक्रवृद्धि ब्याज अदा करें। ब्याज की ऐसी चक्रवृद्धि गौण ऋण की कूपन दर के अनुसार होगी।

प्राधिकरण का अनुमोदन

6. प्राधिकरण "अन्य प्रकार की पूँजी" के निर्गम का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति से संतुष्ट होने पर कर सकता हैः

i. सभी लिखत पूर्णतः प्रदत्त और अरक्षित होंगे;

ii. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) अथवा विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) सहित विदेशी निवेशकों द्वारा ऐसे लिखतों में निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के विनियमों के अधीन होगा।

iii. बीमाकर्ता उपर्युक्त लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी / अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन करेगा।

iv. ऐसी अन्य शर्तें जो प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझी जाएँगी।

रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

7. इन विनियमों के अधीन उक्त लिखतों को जारी करनेवाला बीमाकर्ता आबंटन की तारीख से 15 दिन के अंदर प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति के साथ इन लिखतों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई निधियों का विवरण देते हुए प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

तुलन-पत्र में वर्गीकरण

8. बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये लिखतों को समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अनुसार तैयार किये जानेवाले तुलन-पत्र में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

i. अधिमानी शेयरों के मामले में संबंधित अनुसूची में शीर्ष "शेयर पूँजी" के अंतर्गत।

ii. गौण ऋण के मामले में संबंधित अनुसूची में शीर्ष "उधार राशियाँ" के अंतर्गत।

iii. यदि कोई लिखत किसी प्रीमियम पर जारी किया गया हो, तो प्राप्त प्रीमियम को संबंधित अनुसूची में शीर्ष "प्रतिभूति प्रीमियम" के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

9. बीमाकर्ता समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अनुसार तैयार किये गये वार्षिक वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली लेखों की टिप्पणियों में निर्गम की शर्तों और परिपक्वता / मोचन अवधि के सारांश के साथ इन विनियमों के अधीन इन लिखतों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई राशि का भी प्रकटीकरण करेगा।

लिखतों का कॉल बैक

10. बीमाकर्ता इन विनियमों के अधीन किसी भी लिखत का निर्गम "विक्रय विकल्प" (पुट ऑप्शन) के साथ नहीं करेगा। तथापि, बीमाकर्ता निम्नलिखित के अधीन लिखतों का निर्गम "क्रय विकल्प" (कॉल ऑप्शन) के साथ कर सकता है:

i. कॉल ऑप्शन का प्रयोग लिखत के कम से कम पाँच समाप्त वर्षों की अवधि के लिए प्रचलन में रहने के बाद किया जा सकता है;

ii. कोई भी बीमाकर्ता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करेगा;

iii. कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बीमाकर्ता से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते समय और कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के बाद, दोनों ही समय बीमाकर्ता की शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) की स्थिति पर विचार करेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण बीमाकर्ता को, कॉल किये गये लिखत को उसी के समान अथवा उससे बेहतर गुणवत्ता वाले लिखत से प्रतिस्थापित करने की अनुमति दे सकता है।

लिखतों के अभिदाता

11. ऐसे लिखतों का निर्गम निजी स्थानन द्वारा हो सकता है और इनके संबंध में निम्नलिखित द्वारा अभिदान किया जा सकता है:

i. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में यथापरिभाषित भारतीय प्रवर्तक;

ii. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में यथापरिभाषित भारतीय निवेशक;

iii. भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 में यथापरिभाषित विदेशी निवेशक;

बशर्ते कि विदेशी निवेशकों द्वारा अभिदान इस संबंध में जारी किये गये विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के विनियमों के अनुपालन के अधीन होगा।

iv. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जानेवाला कोई अन्य व्यक्ति।

"अन्य प्रकार की पूँजी" में किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा निवेश

12. कोई भी बीमाकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई "अन्य प्रकार की पूँजी" में निम्नलिखित के अधीन निवेश कर सकता हैः

i. ऐसे निवेशों को केवल "अन्य निवेशों" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा; और

ii. ऐसे लिखत आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 में विनिर्दिष्ट रूप में एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन होंगे।

लिखतों की जमानत पर ऋण प्रदान करना

13. बीमाकर्ता उनके द्वारा जारी किये गये लिखतों की जमानत पर कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेंगे।

अन्य प्रकार की पूँजी के लिए सीमा

14. लिखतों की एकसाथ कुल मात्रा किसी भी समय किसी बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी और प्रतिभूति प्रीमियम के कुल जोड़ के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि, किसी भी समय, "अन्य प्रकार की पूँजी" की कुल मात्रा किसी बीमाकर्ता की

निवल मालियत (नेट वर्थ) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) की संगणना के प्रयोजन के लिए लिखतों का परिशोधन

15. "अन्य प्रकार की पूँजी" के रूप में जारी किये गये लिखत विनियम 16 में विनिर्दिष्ट रूप में हेयरकट को घटाकर बीमाकर्ता के "उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन" के लिए गिने जाएँगे।

16. उक्त लिखत परिपक्वता से पहले अंतिम पाँच वर्षों में सीधी रेखा आधार पर "उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन" की संगणना के प्रयोजन के लिए एक प्रगामी हेयरकट के अधीन होंगे। तदनुसार, इन विनियमों के अधीन जारी किये गये ये लिखत जैसे ही परिपक्वता तक पहुँचेंगे, तब बकाया शेषराशियों की गणना पूँजी में सम्मिलित करने के लिए नीचे सारणी `क' में निर्दिष्ट किये गये रूप में करनी होगीः

सारणी-क

परिपक्वता तक वर्ष	पूँजी में सम्मिलित
5 वर्ष अथवा उससे अधिक	100%
4 वर्ष और 5 वर्ष से कम	80%
3 वर्ष और 4 वर्ष से कम	60%
2 वर्ष और 3 वर्ष से कम	40%
1 वर्ष और 2 वर्ष से कम	20%
1 वर्ष से कम	0%

वस्तुतः उपर्युक्त समायोजन करने के बाद प्राप्त राशि ही "उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन" में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र होगी।

बशर्ते कि इस प्रकार का हेयरकट "परिपक्वता तक वर्ष" के आधार पर प्रत्येक वित्तीय तिमाही के अंत में लागू किया जाएगा।

कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकारः

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जानेवाले उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

फार्म-1

"अन्य प्रकार की पूँजी" के निर्गम हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन

[भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015 का विनियम 5 देखें]

क्रम सं.	**विवरण**	**टिप्पणी**
1.	बीमाकर्ता का नाम	
2.	पता	
3.	संपर्क का ब्योरा	
4.	पंजीकरण संख्या	
5.	पंजीकरण की तारीख	
6.	कंपनी की निवल मालियत (नेट वर्थ)(करोड़ रुपये) • कुल प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी की अद्यतन स्थिति • प्रतिभूति प्रीमियम • आरक्षित निधि और अधिशेष (प्रतिभूति प्रीमियम को छोड़कर) • घटाएँ : संचित हानि, यदि कोई हो • निवल मालियत (नेट वर्थ)	
7.	पहले से निर्गत अन्य प्रकार की पूँजी की राशि (करोड़ रुपये) क) अधिमानी शेयर ख) गौण ऋण ग) कुल घ) प्रदत्त ईक्विटी पूँजी और प्रतिभूति प्रीमियम के जोड़ में से (ग) का प्रतिशत	
8.	जुटाने के लिए प्रस्तावित "अन्य प्रकार की पूँजी" की राशि (करोड़ रुपये)	

9.	जारी किये जानेवाले लिखत	अधिमानी शेयर / गौण ऋण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
10.	ईक्विटी प्रदत्त पूँजी और प्रतिभूति प्रीमियम के जोड़ में से "अन्य प्रकार की पूँजी" (वर्तमान और प्रस्तावित को मिलाकर) का प्रतिशत i) वर्तमान ii) प्रस्तावित	
11.	कृपया निर्धारित रूप में दस्तावेज संलग्न करें :	1) **अधिमानी शेयरः** अधिमानी शेयरों के निर्गम को प्राधिकृत करनेवाले (i) बोर्ड के संकल्प और (ii) शेयरधारकों की आम सभा में पारित विशेष संकल्प की प्रमाणित प्रतियाँ; 2) **गौण ऋणः** गौण ऋण के निर्गम को प्राधिकृत करनेवाले बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति; 3) 5 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वानुमानित व्यवसाय योजना और पूर्वानुमानित शोधक्षमता की स्थिति; 4) उन शर्तों की प्रति जिन पर अधिमानी शेयर और / या गौण ऋण जारी करना प्रस्तावित है; 5) ईक्विटी शेयर पूँजी के निर्गम द्वारा निधियाँ जुटाने के स्थान पर "अन्य प्रकार की पूँजी" जारी करने के लिए तर्काधार; 6) पुष्टीकरण कि निवेशकों को देय लाभांश / ब्याज की दर या तो नियत दर है या अस्थिर दर। उक्त अस्थिर दर बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में होगी। 7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित विनियम 5 (vii) के उपबंधों के अनुपालन का पुष्टीकरण

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

(i) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और विदेशी संविभाग निवेशकों सहित सभी विदेशी निवेशकों द्वारा कुल निवेश फेमा अधिनियम, 1999 अथवा उसके अधीन जारी किये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और विदेशी संविभाग निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों को अधिमानी शेयरों और गौण ऋणों का निर्गम यथाप्रयोज्य कीमत-निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।

प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने पर हम यथाप्रयोज्य कॉरपोरेट कानूनों और सभी अन्य शर्तों सहित परंतु उन्हीं तक असीमित सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष

(बीमाकर्ता का नाम)

स्थानः

दिनांकः

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./161/15 (259)]

Insurance Regulatory and Development Authority of India

NOTIFICATION

Hyderabad, the 13th November, 2015

Insurance Regulatory Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2015

F. No. IRDAI/Reg/20/110/2015- In exercise of the powers conferred by Section 6A (1) (i) and Section 114A (2) (db) of the Insurance Act, 1938 read with section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.--**(1) These regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2015.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **(1) Definitions.-**In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

i. **“Act”** means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

ii. **“Authority”** means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).

iii. **“Other forms of capital”** means the following instruments issued by an Insurer in the manner prescribed herein:

(a) preference share capital; or

(b) Subordinated debts.

iv. **“Preference Share Capital”** means the preference share capital as defined in explanation (ii) to section 43 of the Companies Act, 2013 and satisfying the criteria laid down in these Regulations.

v. **“Subordinated debt”** means Debenture as defined in Section 2(30) of the Companies Act, 2013 and satisfying the criteria laid down in these Regulations; and

Any other debt instrument as may be permitted by the Authority.

(2) All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Companies Act, 2013 or Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or Rules or Regulations made there under shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations

Qualification for “Other forms of capital”

3. Preference shares or subordinated debt shall qualify as “Other forms of capital” provided all of the following criteria are met:

i. **Fully Paid up**: The Instruments must have been issued and paid up in cash;

ii. **Seniority of Claims** : The seniority of the claims shall be governed by the following order :

a) **Preference Shares** : The claims of the Preference Shareholders shall be superior to the claims of investors holding equity share capital but shall be subordinated to the claims of the policyholders and all other creditors;

b) **Subordinated Debt**: The claims of the holders of the subordinated debt shall be superior to the claims of the investors in preference shares and equity shares in that order but shall be subordinated to the claims of the policyholders and all other creditors.

iii. The instruments issued under these Regulations shall neither be secured nor covered by a guarantee of the Insurer or other arrangements that legally enhance the seniority of the claims as against the claims of the insurer’s policyholders and creditors;

iv. Maturity Period : The maturity period of the instruments issued by insurers under these Regulations shall be as under**:**

a. **Preference Share Capital** : The maturity period or redemption period shall not be less than:

(i) Ten years for Life, General Insurance and Reinsurance Companies; and

(ii) Seven years for Health Insurance Companies.

b. **Subordinated Debt** : The issue of the subordinated debt shall either be perpetual or the maturity period or redemption period shall not be less than :

(i) Ten years for Life, General and Reinsurance Insurance Companies; and

(ii) Seven years for Health Insurance Companies;

Provided that nothing in this Regulation shall prohibit the insurer from exercising a call option under Regulation 10 of these Regulations.

v. No incentives shall be payable for early redemption.

vi. The rate of dividend / interest payable to the investors may be either a fixed rate or a floating rate. The floating rate shall be with reference to a market determined rupee interest benchmark rate.

vii. Interest on subordinated debt shall be charged to the Profit & Loss Account and Dividend on Preference Shares shall be paid out of the distributable profit of the shareholders

Provided that the solvency of the Insurer remains as per the regulatory stipulations;

Provided further that where the impact of such payment may result in net loss or increase the net loss, prior approval of the Authority for such payment shall be obtained;

viii. **Dividend / interest discretion**: Cancellation of dividend distribution on preference shares or servicing of the subordinated debt must not impose restrictions on the Insurer except for distribution

of dividend to equity shareholders.

Prior Approval of the Authority

4. No Insurer shall issue "Other forms of capital" without the specific prior approval of the Authority under Regulation 6.

Procedure for Issue

5. An Insurer intending to raise "Other forms of capital" shall make an application for obtaining prior approval of the Authority in **Form-1.** The following documents shall be enclosed with the application:

i. Board resolution and special resolution passed in the general body meeting of the shareholders authorising the issue of the preference shares;

ii. Board resolution authorising the issue of the subordinated debt;

iii. Projected business plan and the projected solvency position for a period of five years;

iv. A copy of the terms and conditions on which the preference share capital or subordinated debt are proposed to be issued;

v. The intended classification of the instruments proposed to be issued for Available Capital purposes for computation of solvency margin;

vi. Rationale for issuing "Other forms of capital" in lieu of raising funds through issue of equity share capital;

vii. Confirmation

a) that the Insurer shall not be liable to pay dividend or interest for any financial year if,

1) The insurer's solvency is below the minimum regulatory requirements prescribed by the Authority; or

2) The impact of such payment would result in Insurer's solvency falling below or remaining below the minimum regulatory requirement specified by the Authority.

b) that the dividend or interest, as the case may be, shall not be cumulative i.e., dividend or interest missed in a year will not be paid in future years;

Provided that the interest amount due and remaining unpaid may be allowed to be paid in the subsequent financial years subject to compliance of above mentioned regulation 3 (vii). While paying such unpaid interest, the insurers are allowed to pay compound interest. Such compounding of interest shall be in accordance with the coupon rate of the subordinated debt.

Approval of the Authority

6. The Authority may approve issuance of "Other forms of Capital" on being satisfied of the fulfillment of the following conditions:

i. All instruments shall be fully paid up and unsecured;

ii. Investment in such instruments by foreign investors including Foreign Institutional Investors (FIIs) or foreign portfolio investors (FPIs) shall be subject to the FEMA Regulations;

iii. The Insurer shall comply with the terms and conditions, if any, stipulated by SEBI / other regulatory authorities in regard to issue of the said instruments;

iv. Such other conditions as may be deemed appropriate by the Authority.

Reporting requirements

7. The Insurer issuing the instruments under these Regulations shall file a report to the Authority giving the details of the funds raised through issue of these instruments along with a copy of the offer document within 15 days from the date of allotment.

Classification in the Balance Sheet

8. The instruments issued by an Insurer shall be classified as under in the Balance Sheet to be prepared in

accordance with IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 as amended from time to time.

i. In case of preference shares under the head "Share Capital" in the relevant schedule.

ii. In case of subordinated debt under the head "Borrowings" in the relevant schedule.

iii. In case any instrument is issued at a premium, the premium received shall be shown under the head "Securities Premium" in the relevant schedule.

9. The Insurer shall also disclose the amount raised through the issue of instruments under these Regulations along with a gist of the terms of issue and the maturity / redemption period in the Notes to the Accounts forming part of the Annual Financial Statements prepared in accordance with IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 as amended from time to time.

Call Back of Instruments

10. An Insurer shall not issue any instrument under these Regulations with "put option". However, an Insurer may issue the instruments with a "call option" subject to the following:

i. Call option may be exercised after the instrument has run for at least a period of five completed years;

ii. No Insurer shall exercise the call option without the prior approval of the Authority;

iii. While considering the proposals received from the Insurer for exercising the call option, the Authority shall, amongst other things, take into consideration the Insurer's solvency position both at the time of exercise of the call option and after exercise of the call option

Provided that the Authority may allow an Insurer to replace the called instrument with the equal or better quality instrument.

Subscribers to the Instruments

11. The issuance of such instruments may be through private placement and may be subscribed to by the following:

i. Indian promoters as defined in IRDAI (Registration of Indian insurance companies) Regulations, 2000;

ii. Indian investors as defined in IRDAI (Registration of Indian Insurance companies) Regulations, 2000;

iii. Foreign investors as defined in Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015

Provided the subscription by the foreign investors shall be subject to compliance with the FEMA Regulations issued in this regard.

iv. Any other person as may be approved by the Authority.

Investment by another Insurer in "Other forms of capital"

12. An Insurer may invest in the "Other forms of capital" issued by another Insurer subject to the following:

i. such investments shall only be classified under "Other investments"; and

ii. such instruments shall be subject to the exposure norms as specified in IRDA (Investment) Regulations, 2000.

Grant of Loans against the Instruments

13. Insurers shall not grant any loan against the security of the instruments issued by them.

Limit for Other forms of Capital

14. The total quantum of the instruments taken together shall not exceed 25 percent of total of Paid up Equity Share Capital and Securities premium of an Insurer at any point in time.

Provided that, at any point of time, the total quantum of the “Other forms of Capital” shall not exceed 50 percent of the net worth of an insurer.

Amortization of the instruments for the purpose of computing solvency

15. The instruments issued as “Other forms of Capital”, net of hair cut as specified in Regulation 16, shall be counted towards “Available Solvency Margin” of the Insurer.

16. The instruments shall be subjected to a progressive hair cut for the purpose of computation of “Available solvency Margin” on straight-line basis in the final five years prior to maturity. Accordingly, as these instruments issued under these Regulations approach maturity, the outstanding balances are to be reckoned for inclusion in capital as indicated in the Table ‘A’ below:

TABLE- A

Years to Maturity	**Included in Capital**
5 years or more	100%
4 years and less than 5 years	80%
3 years and less than 4 years	60%
2 years and less than 3 years	40%
1 year and less than 2 years	20%
Less than 1 year	0%

In effect, the amount arrived at after making the above said adjustment alone shall be eligible for inclusion in “Available Solvency Margin”.

Provided that such hair cut shall be applied at the end of each financial quarter based on the "years to maturity".

Power to Remove Difficulties and Issue Clarifications:

In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

FORM-1

Application for approval for Issuance of the “Other forms of capital”

[Pl refer to Regulation 5 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2015]

Sl. No	**Particulars**	**Remarks**
1.	Name of the Insurer	
2.	Address	
3.	Contact Details	
4.	Registration No.	
5.	Date of Registration No.	
6.	Net worth of the Company (Rs. in Crore) • Total Paid up Equity Share Capital as on date • Securities Premium	

Sl. No	Particulars	Remarks
	• Reserve and Surplus (excluding Securities Premium) • Less: Accumulated Loss, if any • Net-worth	
7.	Amount of Other forms of Capital already issued (Rs. In Crore) a) Preference Shares b) Subordinated Debt c) Total d) Percentage of (c) to Paid up Equity Capital and Securities Premium	
8.	Amount of "Other forms of capital" proposed to be raised (in Crore)	
9.	Instrument to be issued	Preference Shares/ Subordinated debt (Please specify)
10.	Percentage of "Other forms of Capital" [including the existing and proposed] to the equity paid up capital and securities premium i) Existing ii) Proposed	
11.	Please enclose the documents as prescribed:	1) **Preference Shares** : Certified copies of (i) board resolution and (ii) special resolution passed in the general body meeting of the shareholders authorising the issue of the preference shares; 2) **Subordinated Debt** : Certified copy of board resolution authorising the issue of subordinated debt; 3) Projected business plan and the projected solvency position for a period of 5 years; 4) Copy of the term and conditions on which preference shares and / or subordinated debt are proposed to be issued; 5) Rationale for issuing "Other forms of capital" in lieu of raising funds through issue of equity share ca 6) Confirmation that the rate of dividend / interest payable to the investors is either a fixed rate or a floating rate. The floating rate shall be with reference to a market determined rupee interest benchmark rate. 7) Confirmation of compliance of provisions of regulation 5 (vii) duly signed by CEO

It is further certified that

(i) The aggregate investment by all Foreign Investors including FIIs and Foreign Portfolio Investors shall not exceed the limit specified in FEMA Act, 1999 or Regulations issued thereunder.

(ii)The issuance of the preference shares and subordinated debts to Foreign investors including FII and Foreign Portfolio Investors is in compliance to the pricing guidelines as applicable .

On receipt of approval from the Authority, we shall ensure compliance with all regulatory requirements, including but not limited to the Corporate Laws and all other stipulations as may be applicable.

(Signature)

Chief Executive Officer / Chairman (Name of the Insurer)

Place:

Date:

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty./161/15 (259)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.